मण्डल:- अयोध्या,जनपद:- अम्बेडकरनगर,तहसील:- भीटी

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 1438/2022

शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा अध्यक्ष श्रीमती शिम्पी वर्मा पत्नी चन्दन वर्मा मथुरानगर बनाम

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202204040501438

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 11/08/2022

अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद में श्रीमती शिम्पी वर्मा पत्नी चन्दन वर्मा अध्यक्ष शिव शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान मथुरानगर परगना दरियाबाद तहसील रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार भीटी से आख्या दिनांक 06.08.2022 प्राप्त की गयी। तहसीलदार भीटी की आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम भीटी परगना मिझौंडा तहसील भीटी जनपद अम्बेडकरनगर की खतौनी वर्ष 1428 से 1433 फसली की खाता संख्या 1008 पर अंकित गाटा संख्या 700क/2.529हे0 में शिव शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा अध्यक्ष शिम्पी वर्मा पत्नी चन्दन वर्मा निवासी ग्राम मथुरानगर परगना दरियाबाद तहसील रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी के नाम 0.909हे0 भूमि को तीन तरफ से बाउन्ड्रीवाल से घेरा गया है। जिसके अन्दर शिक्षण संस्था का निर्माण प्रस्तावित है। मौके पर उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नही किया जा रहा है। कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होने के कारण उक्त भूमि कृषि कार्य से इतर अर्थात अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गयी है। फोटाग्राफ संलग्न हैं। आवेदक द्वारा वाणिज्यिक शुल्क 40950.00 व विभाजन शुल्क मु0 2000.00 रूपये ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया गया है तथा न्याय शुल्क मु0 41000.00 रूपये का कोर्ट फी स्टाम्प संलग्न किया गया है। नकल खतौनी, खसरा, तथा 41 व 45 संलग्न है। पत्रावली पर कोई आपति प्रार्थना पत्र उपलब्ध नही है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध खातेदारो द्वारा सहमति का शपथ पत्र दाखिल किया गया संलग्न पत्रावली विभिन्न अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार भीटी की आख्या का सम्यक अवलोकन किया गया, जिसमे बल प्रतीत होता है। अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

अतः राजस्व ग्राम भीटी परगना मिझौंडा तहसील भीटी जनपद अम्बेडकरनगर की खतौनी वर्ष 1428 से 1433 फसली की खाता संख्या 1008 पर अंकित गाटा संख्या 700क/2.529हे0 में से रकबा 0.909हे0 कृषि कार्य से इतर यानि अकृषिक होने के कारण अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का आदेश जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक भीटी को भेजी जाये। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 11.08.2022

उपजिलाधिकारी,

भीटी।

नकल कोर्ट फ्रेट कर्ता के हस्ताक्षर

अदा स्टाम्प 200

सवाल सं. 614

सत्य प्रतिलिपि

S.D.O / S.D.M. (B)